प्राप्त हुआ और शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र एवं आदेशार्थ दिनांक 23/02/2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

23/02/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम हरदाणी तहसील बावड़ी के ख०सं० 17/1 व 17/8 की प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड प्रक्रिया में तहसीलबावड़ी के ऑनलाईन होने के दरम्यान, सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम को दुरस्त करवाने का निवेदन किया। प्रार्थीया अधिवक्ता ने तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट/जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार मौका स्थिति एवं कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम शुद्धि का आदेश करवाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

बाद अवलोकन, अध्ययन एवं मनन के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:39:30 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

131, 136 RLR Act को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हरढाणी के खसरा सं० 17/1 व 17/8 की तरमीम रिपोर्ट के भाग - B अनुसार मौके की स्थिति एवं कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि की जावे। तहसीलदार बावड़ी उक्तानुसार तरमीम शुद्धि कर राजस्व नक्शे में अमलदरामद करें। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Paree
Date: 2021.12.16 12:39:30 IST
Reason: SelfAttested